

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  
विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति माह 10/2018

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	कुल लंबित वाद	<b>59</b>	<b>4444</b>	<b>653</b>	<b>497</b>	<b>1902</b>	<b>7555</b>	<b>463</b>
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	<b>48</b>	<b>4253</b>	<b>622</b>	<b>491</b>	<b>1852</b>	<b>7266</b>	<b>451</b>
3	कुल अवशेष वाद	<b>11</b>	<b>191</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>289</b>	<b>12</b>
4	आवश्यकता नहीं	<b>6</b>	<b>82</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>94</b>	<b>2</b>
5	अवशेष वाद	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>195</b>	<b>10</b>

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता(वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार वादों की अद्यतन स्थिति माह 10/2018

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा० सर्वोच्च न्यायालय				मा० उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकरण				मा० श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	-	-	-	-	21	20	1	-	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	17	16	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०(बाढ़) लखनऊ	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा० लखनऊ	-	-	-	-	13	12	0	1	6	6	-	-	1	1	-	-	4	4	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	0	0	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	3	3	-	-	265	250	15	-	47	47	-	-	103	102	1	-	136	135	1	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	7	5	-	2	902	825	18	59	102	99	2	1	29	29	-	-	349	347	-	2
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	1	1	-	-	108	105	3	-	18	15	3	-	26	26	-	-	51	51	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद	-	-	-	-	163	155	2	6	34	31	3	-	32	31	-	1	111	105	5	1
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	2	2	-	-	95	87	1	7	15	13	1	1	-	-	-	-	47	45	2	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	1	1	-	-	113	112	1	-	14	14	-	-	28	28	-	-	43	42	1	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	18	18	-	-	4	4	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	2	1	1	-	159	153	6	0	45	45	-	-	42	40	2	-	161	152	9	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	190	172	15	3	34	31	3	-	34	34	-	-	20	18	2	-
15	मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद	1	1	-	-	45	42	3	-	5	5	-	-	2	2	-	-	19	18	1	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	3	3	-	-	329	320	9	-	45	44	1	-	15	15	-	-	340	337	3	-

17	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	3	2	1	-	65	64	1	-	19	18	1	-	5	5	-	-	50	50	-	-
18	मु0अ0, बेतवा, झॉसी	1	1	-	-	127	127	-	-	20	19	1	-	30	30	-	-	39	37	2	-
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	4	4	-	-	210	203	7	-	22	17	5	-	12	12	-	-	202	202	-	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	19	18	1	-	3	3	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, यमुना ओखला, नई दिल्ली	16	11	1	4	185	181	4	4	17	12	5	-	-	-	-	-	167	147	20	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी, ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	2	2	-	-	348	343	5	-	48	46	2	-	30	30	-	-	29	28	1	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	4	-	-	245	245	-	-	35	34	1	-	29	29	-	-	29	29	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	5	4	1	-	367	361	6	-	31	31	-	-	30	30	-	-	55	55	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	4	3	1	-	337	328	9	-	35	34	1	-	9	9	-	-	36	36	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	80	78	2	-	9	9	-	-	28	26	2	-	10	10	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	8	8	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, फैजाबाद	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4444</b>	<b>4253</b>	<b>109</b>	<b>82</b>	<b>653</b>	<b>622</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>497</b>	<b>491</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1902</b>	<b>1852</b>	<b>47</b>	<b>3</b>

कुल लम्बित वाद = 7555

प्रतिशपथ-पत्र  
दाखिल - 7266

अवशेष  
- 195

आवश्यकता  
नही - 94

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता(विधि  
प्रकोष्ठ)

(अशोककुमार  
सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि  
प्रकोष्ठ)



23	मु0अ0, यमुना, ओखला नई दिल्ली	1	1	-	-	9	9	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	28	28	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	15	15	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	-	-	-	-	20	20	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	-	-	-	-	31	31	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	11	11	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, फैजाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>365</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

कुल लम्बित वाद – 463

प्रतिशपथ—प 451  
त्र दाखिल—

अवशेष 10  
— 13

आवश्यकता नही — 2

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 10/2018

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 सवोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0), लखनऊ	0	4	0	0	0	4
2	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी	0	1	0	0	0	1
3	मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी	0	0	2	0	0	2
4	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), कानपुर	0	0	1	0	0	1
5	मुख्य अभियन्ता(नलकूप), वाराणसी	0	0	1	0	0	1
6	मुख्य अभियन्ता (सरयू द्वितीय) गोण्डा।	0	0	1	0	0	1
योग		0	5	5	0	0	10

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिसासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 10/2018 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र०सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ									
1	रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर रायबरेली	2478/सी/2005	श्रीमती रामा देवी शुक्ला	श्री एस०के० सिन्हा अधिशासी अभियन्ता व श्री एस०के० गुप्ता अधि० अभि०रा०ब० ख०द० शा०न०रायबरेली	7507/एस०एस०/2004	डाइंग इन हारनेशरुल के अर्न्तगत के सेवा में रखे जाने आदेश।	-	अधि० अभि० रायबरेली खण्ड दक्षिण शारदा नहर रायबरेली ने अपने पत्र दिनांक 10.09.2018 द्वारा अवगत कराया है कि अवमाननावाद में अन्तिम निर्णय के विरुद्ध स्पेशल अपील संख्या-293/2006 दाखिल की गई, जिसमें एक्सीपीडाइट खण्ड के पत्रांक-2888/दिनांक-13.10.2016 द्वारा प्रस्तुत की गई। तथा प्रतिपक्षी सेवानिवृत्त हो चुकी है। जिसकी सूचना खण्ड के पत्रांक -330/दिनांक-01.02.2006 द्वारा दी जा चुकी है।	-
2	रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर रायबरेली	65/सी/2012	शिव बरन व अन्य	श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	2899/एस०एस०/2012	मस्टरराल वर्कचार्ज सेवा के आधार का जी०पी०एफ० कटौती।	-	अधि० अभि० रायबरेली खण्ड दक्षिण शारदा नहर रायबरेली ने अपने पत्र दिनांक 10.09.2018 द्वारा अवगत कराया है कि अवमाननावाद में तत्कालीन अधि० अभि० श्री मो० इकबाल सिद्दीकी द्वारा अनुपालन आख्या अपने पत्रांक-65/सी/दिनांक-22.02.2013 द्वारा स्थायी अधिवक्ता श्री एस०पी० सिंह सोमवंशी को भेजा जा चुका है।	-
3	रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर रायबरेली	2718/सी/2015	श्री सुमेन्द्र व अन्य	ओ० पी० श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता	2899/एस०एस०/2012	ग्राम-भदाखर स्थित गाटा संख्या-942 के भू-प्रतिकर के संबंध में।	-	अधि० अभि० रायबरेली खण्ड दक्षिण शारदा नहर रायबरेली ने अपने पत्र दिनांक 10.09.2018 द्वारा अवगत कराया है कि खण्ड के प०सं०-1380/दिनांक-24.04.2017 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता को अनुपालन आख्या भेजी जा चुकी है। तथा प्रतिपक्षी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसकी सूचना खण्ड के प०-1666/दिनांक-09.05.2017 द्वारा दी जा चुकी है।	-
4	रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर रायबरेली	1645/2018	श्री अमर नाथ सिंह	आशीष कुमार मौर्य	532235/2017	-	-	The applicant shall supply a duly stamped registered envelop addressed to the opposite party and another self addressed envelope to the office within one week from today. The office shall send a copy of this order along with the self-addressed envelop of the applicant with a copy of contempt application to the opposite party within one week there after and keep a record thereof. With the aforesaid observations. This application is disposes of at this stage with liberty to the applicant to move a fresh application if the order is not complied with by the opposite party within the stipulated time as aforementioned.	-

क्र०सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननाव द संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य अभियन्ता (परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी									
5	मौ०बा०नि० ख०-1 महोबा	4183/2016	मुहम्मद याकूब	श्री पी०डी०वर्मा प्रमुख अभियन्ता	46682/2015	रिट याचिका संख्या-46682/2015 मुहम्मद याकूब बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु दायर की गयी है जिसको मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण करते हुये दिनांक 12.08.2015 को आदेश पारित किया।	-	प्रकरण पर प्रतिशपथ-पत्र तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता श्री पी०डी०वर्मा द्वारा दाखिल न किये जाने के कारण प्रकरण वर्तमान में लम्बित है।	-
<b>मा०राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।</b>									
मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									
1	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	68/2016	चन्द्रशेखर कुमार मंगलम	दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	176/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	उक्त अवमानना याचिका में मा० अधिकरण द्वारा Compliance हेतु दिनांक 12.03.2018 की तिथि नियत की गयी थी श्री चन्द्रशेखर कुमार मंगलम बाण सागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं इनके मण्डल का नाम बाण सागर नहर निर्माण मण्डल-2 मिर्जापुर है। वर्तमान में श्री मंगलम द्वारा अवशेष एरियर का बीजक तैयार कर अधिशासी अभियन्ता चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, मुगलसराय को कास रिफ्रेन्सिंग हेतु प्रेषित किया गया था जिसे कास रिफ्रेन्सिंग करने के पश्चात श्री सी०के०मंगलम अधिशासी अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण खण्ड710 मिर्जापुर को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जिसका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या-505/लेखा अनुभाग/दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री चन्द्र शेखर कुमार मंगलम अधिशासी अभियन्ता के संशोधित वेतन निर्धारण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अवमानना याचिका में Compliance उच्चाधिकारियों द्वारा ही किया जाना है।	-
2	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	32/2017	शिव दास, जूनियर इंजीनियर	प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	2052/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बैंच द्वारा रिट याचिका संख्या-15399/2016 दाखिल कर दिया गया है। तथा मा० अधिकरण में नियम-24 के तहत दाखिल प्रा० पत्र संख्या- 32/2017 की सुनवाई रोकने हेतु शपथ-पत्र मा० अधिकरण में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षरोपरान्त दाखिल कर दिया गया है। वर्तमान में रिट याचिका संख्या-15399/2016 में रिज्वाइन्डर दिनांक 19.02.2018 दाखिल करा दिया गया है। विभागा द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या-15399/2016 सरकार बनाम शिव दास एवं अन्य को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को डिसमिस कर दिया गया है। शासन के पत्र संख्या-1234/18-27-सि०-6-1निया/2015 दिनांक 17.04.2018 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय मांगी गयी है।	-



क्र०सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननाव द संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।									
3	बैराज निर्माण खण्ड-2 कानपुर	184/2017	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव	उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य।	427/2011	मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2016 में वादी को रूपया-137013.00, 08 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश पारित किया गया है।	-	ग्रेच्युटी के भुगतान का गणना चक्र (ब्याज सहित) अधि० अभि०(ई-1) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, को अधि०अभि० बैराज निर्माण खण्ड-2 कानपुर के पत्र संख्या-2690/बै०नि०ख०-2/कोर्ट केस दिनांक 12.12.2017 को प्रेषित किया गया है।	-
मुख्य अभियन्ता (नलकूप) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									
4	नलकूप खण्ड, मिर्जापुर।	534/2015	सच्चिदानन्द त्रिपाठी सेवा निवृत्त अवर अभियन्ता द्वारा सेवा निवृत्तिक देयको के विलम्ब से भुगतान के सम्बन्ध में	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	वादी द्वारा निवृत्त रिट याचिका संख्या 1070/2006 में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादी द्वारा यह अवमाननावाद योजित किया गया है।	अवमाननावाद में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक-20.02.2018 को अपने आदेश दिनांक-28.04.2018 का अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने अथवा दिनांक-06.04.2018 को अधि०अभि० न०ख०मि० को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश पारित किये गये है।	शासन से भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी।	प्रमुख अभियन्ता / ई-11 अनु० के पत्रांक-3143/ई-11 दिनांक 26.09.2017 द्वारा मा० अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिये प्रकरण शासन में भेजा गया था। शासन के निर्देशानुसार मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 28.04.2015 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-9191/2017 दाखिल की गयी थी जिसमें विभाग के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 24.01.2018 को पुनर्विचार याचिका मा० उच्च न्यायालय में दाखिल है। विभाग द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दाखिल पुनर्विचार याचिका में शीघ्र सुनवाई करा कर मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2018 को स्थगित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता नहर खण्ड मिर्जापुर द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है।	-
मुख्य अभियन्ता (सरयू द्वितीय ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश गोण्डा।									
5	सरयू नहर खण्ड-3 बलरामपुर,	178/2018	वीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त	प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	127/2018	वीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त को उनके कनिष्ठ की मुख्य अभियन्ता सिविल स्तर-2 के पद पदोन्नति की तिथि-26.01.2016 से मुख्य अभियन्ता सिविल स्तर-2 के पद पर नोशनल पदोन्नति पर विचार न होने पर अवमाननावाद दायर किया गया है।	-	टवमाननावाद संख्या-178/2018 वीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव बनाम श्री टी. वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य में राज्य लोक सेवा अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल करने हेतु 05.09.2018 की तिथि निर्धारित थी उक्त वाद में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा अनुपालन आख्या दाखिल करने हेतु मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण से दो माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने के अनुरोध पर अगली तिथि अनुपालन हेतु 26.10.2018 निर्धारित की गयी है।	-

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 10/2018

1	2	3	4	5	6	वादों जिनमें अनुपालन शेष है।					12	13
						7	8	9	10	11		
संगठन का नाम	कुल लम्बित वाद	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/अनन्तिम आदेश पारित किये गये।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम / अनन्तिम आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम / अनन्तिम आदेशों का अनुपालन किया जाना शेष है।	जिनमें रिव्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है।	जिनमें एस०एल०पी० दायर है।	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तरण हेतु लम्बित है।	विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर	वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है।	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	59	59	58	1	-	-	-	-	2	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०-बाढ़, लखनऊ	5	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा० लखनऊ	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन लखनऊ	3	3	3	0	2	-	-	1	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	178	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	19	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद	22	22	14	8	3	-	-	-	1	0	-
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	11	9	7	2	1	1	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	137	52	36	16	-	-	-	-	-	-	-
15	मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	17	17	10	7	3	-	-	3	-	-	-
18	मु०अ०, बेतवा, झाँसी	13	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-

19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	3	3	2	1	1		-	-	-	-	-
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	2	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-
22	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, यमुना, ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	137	137	69	68	58	0	0	4	6	-	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	38	38	17	21	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	238	238	227	11	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	75	75	31	44	42	2	-	-	-	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	51	51	34	17	1	12	1	-	3	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, फैजाबाद	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>1080</b>	<b>989</b>	<b>779</b>	<b>210</b>	<b>111</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(वि0प्र0)

मासिक सूचना अक्टूबर-2018

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना  
विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० स०	माह जनवरी 2012 से माह अक्टूबर-2018 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह माह अक्टूबर-2018 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>1316</b>	<b>1046</b>	<b>2362</b>	<b>1246</b>	<b>927</b>	<b>2173</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>107</b>	18 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 64 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 18+64=82

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम- सिंचाई अनुभाग-09 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र0 सं0	संगठन का नाम	माह जनवरी 2012 से माह अक्टूबर 2018 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह अक्टूबर 2018 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभिवृत्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	7	8	0	6	6	1	1	2	-
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	रिट याचिका संख्या-5763/एस0एस0/2012 मिनि0एस00इरी0डिपा0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में शासन से अनुमति प्राप्त न होने के कारण प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहा है।
3	अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) लखनऊ	0	5	5	0	4	4	0	1	1	-
4	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0 परियोजना, लखनऊ	2	6	8	2	6	8	0	0	0	-
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	गण्डक, गोरखपुर	87	28	115	75	25	100	12	3	15	-
7	शारदा सहायक, लखनऊ	57	203	260	46	137	183	5	13	18	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 06 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 53 वाद जिनमें

											प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। ( 06 नं 53=59)
8	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-
9	सरयू-प्रथम, फैजाबाद	3	120	123	3	113	116	0	2	2	1-02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2-03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	78	12	90	71	11	82	0	1	1	1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
11	परियोजना बेतवा, झांसी	74	11	85	73	11	84	1	0	1	-
12	जल संसाधन लखनऊ	2	2	4	2	2	4	0	0	0	
13	रामगंगा कानपुर।	143	16	159	138	15	153	5	1	6	
14	शारदा बरेली	35	126	161	35	109	144	0	14	14	1- रिट याचिका संख्या 78/एसएस/2017 राम कृपाल दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश दिये गये हैं कि 'याची द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का 03 माह के अंदर मुख्य अभियन्ता, शारदा द्वारा निस्तारण नियमानुसार किया जाये। याची द्वारा उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है। अधि0 अभि0,सिं0ख0 प्रथम लखीमपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता शारदा द्वारा मुखरित आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, अतः इस वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2- वाद संख्या-4984/एम0एस0/2017 अमरजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 3-वाद संख्या-7101/एम0एस0/2013 बिन्दुसागर

											वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की 03 वादों में आवश्यकता नहीं है।
15	बाणसागर, इलाहाबाद	20	3	23	20	3	23	0	0	0	
16	सोन वाराणसी	168	7	175	159	7	166	9	0	9	-
17	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	16	31	47	16	28	44	0	3	3	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	-
19	गंगा, मेरठ	7	0	7	0	0	0	7	0	7	-
20	कनहर, मिर्जापुर	8	1	9	8	1	9	0	0	0	-
21	आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 07/2018 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या- 3650/एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है। 01 वाद में आवश्यकता नहीं है। लखनऊ में।
22	निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-

23	यमुना ओखला, नई दिल्ली	9	3	12	0	0	0	4	1	5	05 वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 02 वाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (कुल 5+2=7)
24	राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25	नलकूप मध्य, लखनऊ	88	162	250	87	158	245	1	4	5	-
26	नलकूप पश्चिम, मेरठ	121	76	197	121	74	195	0	2	2	अंकित उक्त दो वादों में मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। दो वाद अन्य दो वाद से कनेक्ट कर दिये हैं इन वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
27	नलकूप, वाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	-
28	नलकूप, पूर्व फैजाबाद	28	141	169	27	136	163	1	5	6	-
29	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	27	15	42	26	13	39	1	2	3	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, फैजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	योग	<b>1316</b>	<b>1046</b>	<b>2362</b>	<b>1246</b>	<b>927</b>	<b>2173</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>107</b>	18 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 64 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 18+64=82

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)